बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959

‘‘निर्वाचन’’

21-घ. (1) निर्वाचन पदाधिकारी तथा आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित संचालन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु, यह कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से अन्यून स्तर का कोई सरकारी सेवक निर्वाचन पदाधिकारी या आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचन पदाधिकारी अथवा आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह संबद्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों और बिहार स्टेट कॉ-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडेरेशन लिमिटेड में पदस्थापित दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी से नीचे स्तर का हो।

(2) निर्वाचन पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि इन नियमों के अनुसार उचित रूप से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये। वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन के संचालन हेतु आवश्यक और आनुषंगिक हो।

(3) बीमारी अथवा किसी अपरिहार्य कारणवश जहाँ उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियुक्त निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के किसी स्तर पर कार्य कराने योग्य नहीं हो तो इस प्रयोजनार्थ नियुक्त आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी उस स्तर से निर्वाचन संपन्न कराने के कार्य को आगे बढ़ावेगा जिस स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी ने उसे छोड़ा हो और ऐसे मामलों में इस नियम के अन्तर्गत निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया सभी निर्देश आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया निर्देश समझा जायेगा।

21-ङ. प्रबंध समिति और सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक पदाधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन संपन्न कराने में सहायता प्रदान करें और ऐसी सभी सूचना तथा सोसाइटी के अभिलेख उसे उपलब्ध करें जिसकी आवश्यकता निर्वाचन पदाधिकारी को इस प्रयोजन हो।

21-च. आवश्यकतानुसार निर्वाचन पदाधिकारी उतनी संख्या में मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उन्हें मतपेटियाँ, मत-पत्र, अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति तथा ऐसी सभी आवश्यक उपसाधन उपलब्ध करायेगा जो निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आवश्यक है।

21-छ. निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ऐसे सरकारी सेवकों में से मतदान पदाधिकारी नियुक्त होंगे जो सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित नहीं हों।

21-झ. (3) यदि सोसाइटी विनिर्दिष्ट समय के अंदर (मतदाता सूची) सूची तैयार करने तथा भेजने में विफल होती है तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं अथवा उसे द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति सूची तैयार करेगा।

21-ञ. (1) निर्वाचन पदाधिकारी-

(i) संबंधित सोसाइटी के सूचना पट पर तथा अन्य ऐसी जगह या जगहों पर जहाँ उचित समझा जाय, मतदाता सूची को प्रदर्शित करायेगा;

(ii) संबंधित सोसाइटी के सूचना पट पर सामान्य सूचना प्रकाशित करेगा या करायेगा, जिसमें उक्त मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल करने की तिथि तथा आपत्तियों के निष्पादन की तिथि निश्चित की गयी रहेगी :

परन्तु, यह कि मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि एवं सामान्य सूचना प्रकाशित करने की तिथि और आपत्ति दाखिल करने की तिथि के बीच सात दिनों से कम का अंतर नहीं होगा;

(iii) आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन उन स्थानों पर करेगा या करायेगा, जो खंड (i) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये हो;

(iv) अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित सोसाइटी को अग्रसारित करेगा, जो इसके आधार पर मतदाताओं को विशेष आम-सभा की सूचना देगी।

(2) सोसाइटी अपने कार्यालय में अंतिम मतदाता सूची की प्रति कार्यालय अवधि के दौरान अवलोकनार्थ उपलब्ध रखेगी और किसी सदस्य द्वारा मांग किये जाने पर मतदाता सूची की प्रति सोसाइटी द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

21-ट. (3) सूचना में नियम 21-ड के अंतर्गत संचालन पदाधिकारी द्वारा तय किये गये कार्यक्रम में प्रत्येक कार्य की तिथि, समय और स्थान अंकित रहेगा;

परन्तु, यह कि सूचना नामांकन की तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व निर्गत होगी तथा नामांकन की तिथि एवं विशेष आम-सभा की तिथि के बीच दस दिनों से कम का अंतर नहीं रहेगा।

(4) सूचना में निर्वाचन पदाधिकारी तथा आनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित रहेगा।

(5) सूचना की एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी (संचालन पदाधिकारी), निबंधक तथा वित्तीय संस्था को भी भेजी जाएगी।

21-ठ. निर्वाचन पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सूचना समुचित रूप से तामील होने के संबंध में अपना समाधान कर ले और अपना प्रमाण-पत्र सोसाइटी की सूचना बही में अभिलिखित कर देगा।

21-ड. निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी -

(क) नामांकन दाखिल करने,

(ख) नामांकन-पत्रों की जाँच,

(ग) नामांकन की सूची के प्रदर्शन,

(घ) नामांकन पर आपत्तियाँ करने,

(ङ) आपत्तियों के निष्पादन,

(च) विधिमान्य नामांकन की सूची का प्रदर्शन,

(छ) नामांकन की वापसी,

(ज) वापसी, यदि कोई हो के पश्चात् नामांकन की सूची का प्रदर्शन, तथा

(झ) चिह्नों के आवंटन हेतु तिथि नियत करेगा;

परन्तु यह कि सभी कार्य समिति के मुख्यालय में ही संचालित किये जाएगें।

21-ढ़. (1) कोई व्यक्ति किसी स्थान पर निर्वाचन के लिए नामांकन-पत्र दाखिल नहीं करेगा यदि-

(i) उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो, या
(ii) अधिनियम, नियमावली या सोसाइटी की उप-विधियों के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन हेतु अयोग्य हो।

(2) नामांकन का प्रस्ताव विहित प्रपत्र में निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित रहेगा। किसी मतदाता द्वारा नामांकन पर की गयी आपत्ति भी उसी को संबोधित रहेगी।

(3) अभ्यर्थी अपना नामांकन व्यक्तिगत रूप में या अपने अधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसके संबंध में एक संधारित पंजी में क्रमवार प्रविष्टि की जायगी और यदि मांग की जाए तो वह इसकी प्राप्ति रसीद देगा:

परन्तु यह कि नामांकन का प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई अन्य मतदाता होगा।

(4) निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट तिथि को नामांकन-पत्रों की जाँच वर्णानुक्रम से आरम्भ करेगा। अभ्यर्थी, उसका प्रस्तावक या समर्थक जाँच के समय उपस्थित रह सकेगा।

(5) नामांकन की जाँच के समय निर्वाचन पदाधिकारी-

(क) नामांकन-पत्र में नाम या संख्या के संबंध में किसी लेखन गलती को शुद्ध करने की अनुमति दे सकेगा जिससे वह अंतिम मतदाता सूची की अनुवर्ती प्रविष्टियों से मेल खा जाए,

(ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ निर्देश दे सकेगा कि उन प्रविष्टियों में मुद्रण की गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाय।

(6) जाँच के समय निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन-पत्र पर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकृति की व्यवस्था में संक्षेप में अस्वीकृति के कारणों का विवरण लिखित रूप में अंकित करेगा। जिस अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत हो जाता है तो वह अस्वीकृत आदेश की प्रति निर्वाचन पदाधिकारी को 5 रूपये फीस जाम करके प्राप्त कर सकेगा जो उस रकम को संबंधित सोसाइटी में जमा कर देगा।

(7) नामांकन वापसी के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप में दिया जायगा।

21-ण. यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंध समिति के एक से ज्यादा और या प्रबंध समिति का सदस्य के लिए चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक ही पद धारण करने की इच्छा प्रकट करेगा और संबंधित सोसाइटी के शेष पदों को निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के 24 घंटों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर खाली करेगा और ऐसे अभ्यर्थी छोड़े गये ऐसे पद दूसरे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भरे जायेंगे जो उस अभ्यर्थी के बाद दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करनेवाला रहा है :

परन्तु यह कि यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विहित सीमा के भीतर इच्छा नहीं व्यक्त की जाती है तो निर्वाचन पदाधिकाारी स्वविवेक का प्रयोग करेगा और वैसे पद को उक्त अभ्यर्थी द्वारा खाली घोषित करेगा।

21-त. (1) जहाँ किसी पद के लिए विधिमान्य नामांकनों की संख्या भरे जानेवाले पदों की संख्या से अधिक नहीं हो वहाँ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओर से विधिमान्य नामांकन प्राप्त किए गए हैं, उन पदों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे।

21-थ. (1) यदि किसी एक पद के विधिमान्य नामांकन की संख्या भरे जानेवाले पदों की संख्या से अधिक हो तो वैसी परिस्थिति में निर्वाचन होगा।

21-द. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और छद्म रूप के निवारण करने के लिए जैसा उचित समझेगा वैसी व्यवस्था करेगा।

21-ध. (1) प्रत्येक मतदाता को मुद्रित मतपत्र दिया जायेगा जिसमें चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में वर्णानुक्रम में उनके नाम, के सामने उनका चुनाव चिन्ह सहित अंकित रहेंगे। मतदाता चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों में से जिन्हें मत देना चाहे, उसके चुनाव चिन्ह पर ''(X)'' अंकित करेगा।

(2) मतपत्र क्रमवार रूप से संख्यांकित रहेगा और इस पर सोसाइटी की मुहर तथा संबधित मतदान केन्द्र के निर्वाचन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी का आद्याक्षर अंकित रहेगा।

(3) मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाएगा। मतदाता उस अभ्यर्थी के नाम के समक्ष क्रास चिन्ह (X)अंकित करेगा जिसको अपना मत देना चाहेगा तथा उसके पश्चात् मतपत्र मतपेटिका के अन्दर डाल देगा।

(4) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे जितने पदों को भरने हैं किन्तु कोई भी मतदाता एक अभ्यर्थी को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(5) कोई निश्चित लड़नेवाला अभ्यर्थी या उसका अधिकृत अभिकर्त्ता मतपत्र निर्गत होने के पूर्व प्रति आपत्ति एक रूपये की दर से भुगतान कर किसी मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

(6) निर्वाचन पदाधिकारी उस आपत्ति की संक्षिप्त जाँच करेगा और यदि ऐसी जाँच के बाद उसकी राय हो कि आपत्ति सही नहीं है, तो वह उस मतदाता को एक मतपत्र देगा।

(7) यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में ही मतदाता सूची में नामित किसी मतदाता के रूप में मतदान कर दिया गया हो और कोई व्यक्ति उस मतदाता के रूप में मतदान करने आया हो तब उसे अपने पहचान के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी को समाधन हो जाने पर मतपत्र की आपूर्ति की जायगी जिसकी पीठ पर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उसके हस्तलिपि में उसके हस्ताक्षर के साथ निविदत्त मत' लिखा जायगा।

(8) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को निविदत्त मतपत्र की आपूर्ति करने के पूर्व वह 'निविदत्त मतपत्र' की सूची में अपने नाम के आगे अपना हस्ताक्षर बनायेगा या यदि वह अनपढ़ है तो अगूंठा का निशान लगायेगा।

(9) उप-नियम (7) के अन्तर्गत मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति निविदत्त मतपत्र पर उस अभ्यर्थी, जिसे वह अपना मत देना चाहता है, के नाम के आगे चिन्ह (X) लगायेगा और निविदत्त मतपत्र निर्वाचन पदाधिकारी को सुपुर्द करेगा जो तुरन्त उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए विशेष लिफाफा में डाल देगा।

21-न. (1) यदि किसी निर्वाचन के समय, किसी बल्वे या तोड़-फोड़ के कारण किसी मतदान केन्द्र पर हो रही कार्यवाही में व्यवधान या बाधा उत्पन्न हो जाए या किसी प्राकृतिक विपदा के कारण अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र /स्थल पर मतदान कार्य संपन्न कराना संभव न हो तो ऐसे मतदान केन्द्र /स्थल का मतदान पदाधिकारी बाद में अधिसूचित किये जानेवाले किसी तिथि तक के लिए मतदान स्थगित कर देगा।

(2) जहाँ उप-नियम (1) के अधीन मतदान स्थगित कर दिया जाता है वहाँ निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) और निबंधक को परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा और यथासंभव शीघ्र (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) की पूर्व अनुमति से ऐसी तिथि तय करेगा, जिस तिथि को पुर्नमतदान किया जाएगा तथा वैसे मतदान केन्द्र/ स्थल नियत करेगा जहाँ और जिस समय मतदान कार्य संपन्न होगा और एसे निर्वाचन के समय दिए गये मतों की गिनती तब तक नहीं की जाएगी, जबतक कि स्थगित मतदान कार्य पूरा न हो।

(3) यथापूर्वोक्त ऐसे प्रत्येक मामले में निर्वाचन पदाधिकारी उसी रीति से उप-नियम (2) के अधाीन मतदान की तिथि, स्थान और समय अधिसूचित करेगा, जैसा कि (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) निर्देशित करें।

(4) यदि किसी निर्वाचन में -

(क) किसी मतदान केन्द्र / स्थल में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से विधि विरूद्ध निकाल ली जाती है या घटनावश या जान-बूझकर विनष्ट कर दी जाती है या खो जाती है अथवा इस हद तक उसे नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र/स्थल पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, अथवा

(ख) यदि मतदान केन्द्र/स्थल पर कोई ऐसी प्रक्रियागत गलती या अनियमितता की गई हो जिसके चलते मतदान निष्फल होता हो, तो मतदान पदाधिकारी तत्काल उसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी और (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) को देगा।

(5) उसके बाद (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उस मतदान केन्द्र /स्थल के मतदान को अवैध घोषित करेगा और वह उस मतदान केन्द्र /स्थल पर निए सिरे से मतदान कराने के लिए दिन तथा समय निर्धारित करेगा और ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, उस प्रकार से निर्धारित दिन तथा नियत समय को अधिसूचित करेगा।

(6) इस नियम के उपबंध ऐसे सभी पुनर्मतदानों पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से मूल मतदान पर लागू होते हैं।

21-प. (1) मतदान की समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना की जायेगी और यदि मतदान की समाप्ति के तुरन्त बाद मतों की गणना संभव नहीं हो तो मतपेटियों को निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सील कर दिया जायेगा और उसे निरापद अभिरक्षा में रखा जायेगा। अभ्यर्थी और उसके अभिकर्त्ता, यदि चाहें, तो अपने भी सील लगा सकते हैं। ऐसी अवस्था में मतों की गणना निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए स्थान, समय और तिथि को सम्पन्न किया जायेगा।

(2) एसे मतपत्र को रद्द किया जायेगा यदि-

(i) इस पर मतदाता की पहचान के लिए हस्ताक्षर किया हुआ हो,

(ii) इस पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी या मतदान केन्द्र/स्थल के मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर और सोसाइटी का मुहर न हो,

(iii) इसमें मत उपदर्शक कोई चिन्ह न हो,

(iv) इसमें पदों की संख्या, जिन्हें भरना है, से अधिक चिन्ह लगे हों,

(v) यह इस प्रकार से क्षतिग्रस्त या विकृत हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सके।

(3) यदि किसी मतपत्र पर किसी एक अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिए इस रूप में चिन्ह या चिन्हों का प्रयोग किया हो कि इससे यह स्पष्ट न हो पाए कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के लिए अपना मत प्रदान किया हो तो उसे रद्द किया जायेगा।

परन्तु यह कि जिस रूप में मतपत्र को चिन्हित किया गया है उससे यदि स्पष्ट हो जाए कि मत किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए दिया गया है तो उस मतपत्र को मात्र इस आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा कि उस पर मत का उपदर्शन अस्पष्ट या एक चिन्ह के ऊपर एक से अधिक चिन्ह है।

(4) जैसे ही मतगणना पूरी हो जाती है, निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या भी उपदर्शित करेगा और अपने मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ सफल अभ्यर्थी एवं (संचालन पदाधिकारी) को लिखित प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(5) मतों की समानता की दशा में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लॉटरी निकालकर निर्णय किया जायगा।

(6) निर्वाचन पदाधिकारी सोसाइटी के सूचना-पट पर या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहाँ वह उचित समझे, निर्वाचन अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित करेगा।

(7) उप-नियम (6) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची की एक प्रति सहकारिता विभाग के संबंधित पदाधिकारी तथा (निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी) तथा संबंधित सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को भेजी जायेगी।

(8) व्यवहृत मतपत्रों तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य अभिलेख एक लिफाफे या पात्रों में रखे जायेंगे और निर्वाचन पदाधिकारी / मतदान पदाधिकारी द्वारा उसे सील कर दिया जायेगा। कोई अभ्यर्थी भी, यदि चाहे, तो अपना सील उस पर लगा सकता है। निर्वाचन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी के द्वारा इस प्रकार से सील किया हुआ लिफाफा या पत्र सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को सौंप दिया जायेगा जो इसकी प्राप्ति रसीद देगा और वह 12 महीने या जबतक के लिए रजिस्ट्रार निर्देश करें तबतक इसकी निरापद अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

21-फ. (1) एक सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी के वर्ग या वर्गों में निर्वाचन कराने हेतु व्यय की राशि संचालन पदाधिकारी के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के जरिये निश्चित की जायेगी और उसे सोसाइटी के द्वारा अपनी निधि से भुगतान किया जायेगा :

परन्तु यह कि सोसाइटी की निधि में से निर्वाचन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन से संबंधित है, को यात्रा-भत्ता /दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(2) संबंधित सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक या निर्वाचन प्राधिकार / संचालन पदाधिकारी के निदेश पर सोसाइटी के निर्वाचन से संबंधित होनेवाले व्यय के संबंध में भुगतान करेगा।

21-ब. राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को सोसाइटियों में निर्वाचन कराने से संबंधित उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए सहकारी सोसाइटी के एक एडिशनल रजिस्ट्रार तथा ऐसे अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।

21-भ. किसी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन संबंधी कोई विवाद-निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अंदर उठाया जा सकता है और एसे विवाद का निबटारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 48 के अधीन किया जायेगा।